· 46

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संoसंo–2/एलo–221/2026– 2642(2) /स्वाo, पटना, दिनांक 5/11/2026

डा0 रीतु कुमार रानी, चिकित्सक पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराहाट, बांका के द्वितीय प्रसव हेतु दिनांक–02.12.2025 से 29.05.2026 तक कुल–179(एक सौ उन्नासी) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एलo–221/2023– 2642(2) पटना, दिनांक 5/11/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेo एवं हo) बिहार, दीर्घचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैoदाoनिoकोo) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराहाट, बांका/कोषागार पदाधिकारी, बांका/डा0 रीतु कुमार रानी, चिकित्सक पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराहाट, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :आईoटीo मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।